भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या \*86**

(जिसका उत्तर 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाना है)

**छोटे कर्जदारों की दयनीय स्थिति**

\*86. श्री सी. एम. रमेशः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विशेषकर, आन्ध्र प्रदेश राज्य में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की अत्यधिक ब्याज-दरों के कारण कष्ट झेल रहे छोटे कर्जदारों की दयनीय स्थिति की जानकारी है; और

(ख) छोटे कर्जदारों की दयनीय स्थिति में और सुधार किए जाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)

**(क) और (ख):** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**छोटे कर्जदारों की दयनीय स्थिति के संबंध में श्री सी. एम. रमेश द्वारा पूछे गए 16 अगस्त, 2012 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*86 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क) और (ख):** ऊंची ब्याज दरों, जोर-जबरदस्ती वसूली करने की प्रक्रियाओं और कुछेक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में बहुविध उधार प्रथाओं तथा अन्य संबद्ध मुद्दों के बारे में मीडिया में व्यक्त चिन्ताओं का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस क्षेत्र के मुद्दों और सरोकारों, जिनमें उनके द्वारा प्रभारित ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाने के तौर-तरीके भी शामिल हैं, का अध्ययन करने के लिए 19 अक्तूबर, 2010 को श्री वाई. एच. मालेगाम की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक-मण्डल की एक उप-समिति गठित की। इस उप-समिति ने जनवरी 2011 में अपनी रिपोर्ट आरबीआई को प्रस्तुत कर दी।

आरबीआई ने, अन्य बातों के साथ-साथ, समिति द्वारा अनुशंसित विनियमों की व्यापक रूपरेखा को मंजूर कर लिया। आरबीआई ने शुरुआत में 03 मई, 2011 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें 01 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को दिए गए बैंक ऋण को ब्याज दरों एवं मार्जिनों पर ऊपरी सीमा सहित कतिपय शर्तों के अध्यधीन प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र का दर्जा देने की बात कही गई है। तदुपरांत आरबीआई ने, 02 दिसम्बर, 2011 के अपने निदेश के जरिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एनबीएफसी – एमएफआई) की एक पृथक श्रेणी का सृजन किया और बेहतर विनियमन/पर्यवेक्षण के लिए तथा उधारकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने हेतु इन एनबीएफसी – एमएफआई के लिए विवेकसम्मत मानदण्ड, कंपनी नियंत्रण और उचित व्यवहार संहिता विहित की गई हैं। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पेश आ रही कुछेक समस्याओं का निराकरण करने के लिए इन निदेशों में 03 अगस्त, 2012 को आगे और आशोधन किया गया। ये आरबीआई की वेबसाइट [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।

सरकार ने सभी पणधारियों से परामर्श करने के पश्चात सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2012 तैयार किया। इस विधेयक को लोक सभा में   
22 मई, 2012 को पेश किया गया है। यह विधेयक ग्रामीण एवं शहरी गरीबों तथा आबादी के कतिपय वंचित वर्गों के लिए ऋण, बचत एवं अन्य सूक्ष्म वित्त सेवाओं को सुकर बनाने और ऐसे संस्थानों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों के विकास और विनियमन से संबंधित सांविधिक ढांचा उपलब्ध कराएगा।

\*\*\*\*\*